न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 74 / 2016 दायरा दिनांक : 12.04.2016

उनवान

पूरा वल्द नग्गा, जाति चमार, निवासी सांरगा का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती सुगना बाई पत्नी हंसराज, जाति बैरवा, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास पीलीकोठी वार्ड नम्बर 1 भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2— पूरा वल्द नन्दा, जाति चमार, निवासी सांरगा का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— गुमान लाल वल्द दुधा लाल, जाति चमार, निवासी सांरगा का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

4— श्रीमती धापू बाई पत्नी बाबू, जाति चमार, निवासी सांरगा का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

5— रमेश लाल वल्द मोतीलाल, जाति चमार, निवासी सांरगा का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी के मंत्री एव ंबी एल माहेश्वरी अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 274/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 श्रीमती सुगना बाई ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार के यहां अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 6 तथा दुला वल्द गुलाब, जाति चमार निवासी सारंगा का खेड़ा, तहसील गंगधार के खिलाफ अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें दुला वल्द गुलाब, जाति चमार के लावारिस फौत होने के कारण उसका नाम डिलीट किया गया जिस कारण अपीलांट ने उसे रेस्पोडेंट नहीं बनाया है । यह प्रकरण तलबी प्रतिवादीगणों में ही आदेशिका दिनांक 04.03.2015 में चल रही थी जिसके बाद दिनांक 10.06.2015 को पेशी मुकर्रर की गई । दिनांक 10.06.2015 को कोर्ट आदेशिका नहीं लिखी गई और मातहत न्यायालय ने दिनांक 02.07.2015 को वाद को निर्णीत करते हुए प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी कर दी कि ग्राम सांरगा का खेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 568 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 569 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 570 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 765 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित बाजार दर के अनुसार मूल्यांकन कर देय राशि वादिनी अदा करें तो उसे वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार घोषित की जाती है एवं वादग्रस्त आराजी का वादिया के 1/3 हिस्से के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किये जाने का आदेश दिया हैं ।

प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई एवं विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.03.2016 को मंगवाये गये । उपरोक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री से अपीलांट व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर पेश की गई है :–

(1) यह कि मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है ।

(2) मातहत न्यायालय ने बिना सहखातेदारान को तलब किये निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त होने योग्य है । दिनांक 10.06.2016 को कोई आदेशिका बाबत निर्णय नहीं लिखी गई है एवं गलत तौर से कानून सम्मत प्रक्रिया को नजर अन्दाज करते हुए दिनांक 02.07.2015 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गई ।

(3) रेस्पोडेंट नम्बर 1 श्रीमती सुगना बाई ने दिनांक 23.04.1999 को दुला पुत्र गुलाब से वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्सा 10000/– रूपये में खरीदना प्लीड किया है जबकि कोई रजिस्टर्ड बयनामा उनके हक में पंजीकृत नहीं हुआ है । जिस कारण से दिनांक 23.04.1999 का इकरारनामा बय काबिल ग्राह्य साक्ष्य नहीं होते हुए भी न्यायालय ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की, जो विधि विरूद्ध है ।

(4) प्रकरण में दिनांक 18.06.2014 को ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसका कभी कोई निर्णय नहीं किया गया । इस प्रकार उपरोक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है जिसे खारिज फरमाया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.03.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 04.03.2015 को तलबी में थी । दिनांक 10.06.2015 को कोई तलबी व आर्डरशीट नहीं लिखी गई है । दिनांक 02.07.2015 को बिना सूचना के कैम्प निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि दिनांक 02.07.2015 को पूरा ने लिखित में आवेदन किया था तथा उसके हस्ताक्षर भी है । अपनी सहमति दी है अतः अपील में प्ली नहीं ले सकता है । दिनांक 10.06.2015 की ऑर्डरशीट नहीं लिखी गई जिसे लिखा जाना चाहिए । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । पत्रावली में अनरजिस्टर्ड इकरारनामा दुला वल्द गुलाब द्वारा खाता

संख्या 42 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा में 1/3 हिस्से का स्वयं को खातेदार कृषक बताया गया है एवं अपने 1/3 हिस्सा रूपये 10000/– में श्रीमती सुगना बाई पत्नी हंसराज को बेचान कर इकरारनामा दिनांक 08.11.2010 को निष्पादित किया गया है । खाता संख्या पुराना 42 नया 47 के अनुसार दुला वल्द गुलाब उपरोक्त विवादित आराजी में 2/3 हिस्सा दर्ज किया गया है । इसी प्रकार एक अन्य दस्तावेज रिलीजडीड दुला आयु 70 वर्ष पुत्र गुलाब द्वारा पुनः उपरोक्त जमीन में स्वयं का 1/3 हिस्सा दर्शाते हुए 1/3 हिस्से का सम्पूर्ण मूल्यांकन हक अपने भतीजे पूरा पुत्र नग्गा को रिलीजडीड के माध्यम से हक त्याग किया गया है जो कि दिनांक 06.07.2011 को निष्पादित हुआ है । जमाबंदी में दुला पुत्र गुलाब का 2/3 हिस्सा दर्ज है । रिलीजडीड में दुला वल्द गुलाब की आयु 70 वर्ष है जो वर्ष 2012 में सम्पादित हुई है जबकि बेचान इकरारनामे में दुला वल्द गुलाब की उम्र 80 वर्ष दर्शायी गई है जो कि वर्ष 2010 में सम्पादित हुई है । दस्तावेजों की प्रमाणिकता संदिग्ध है । अधीनस्थ न्यायालय में जो वक्त राजीनामे की ऑर्डरशीट दिनांक 02.05.2015 पर अंगूठा निशानी पूरा पुत्र नग्गा अंकित है । सुगना बाई की उपस्थिति दर्ज नहीं है अर्थात् उपरोक्त निर्णय सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में किया जाना प्रतीत होता है जबकि अन्य प्रतिवादीगण एवं वादिया की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजीनामा सभी पक्षों की उपस्थिति में नहीं किया गया है । अतः राजीनामे को आधार मानकर एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर पारित डिक्री बिना साक्ष्य विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

जाता है कि दावे में वर्णित तथ्यों की गहनता से जांच करें अपीलांट को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान करे, एवं दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा